

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- अप्रैल 22, 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 202 वाहनों का चालान किया गया व 08 वाहन से 7100/ रुपया शमन शुल्क वसूला गया। व बिना मास्क के 168 व्यक्तियों से 83950/ रुपया शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 65 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 00 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. श्यामनरायन पुत्र राजेन्द्र नि0 मालवाडी रामनगर नवलपरासी नेपाल के कब्जे से 120 नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-169/21 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. अज्ञात के कब्जे से 120 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-170/21 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***419/420/41/411IPC अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जितेन्द्र केवट पुत्र स्व0 राधेश्याम सा0 पुलवच नगर पालिका परिषद वार्ड नं0 8 थाना व जिला नवलपरासी नेपाल कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल का नं0 प्लेट बदलकर चलाना व 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-97/21 धारा-419/420/411 ipc अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***NDPS अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त वारिश धुनिया पुत्र अमजद सा0 कुसमा थाना अमाडीगंज जिला नवलपरासी नेपाल कब्जे से 21 एम्पुल नशीला इन्जेक्शन, 1596 नशीला गोली, 06 शीशी नशीला सिरप व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-51/21 धारा-8/22 NDPS अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-04 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

***जनपद में 21/22-4-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 69 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी* ।**